

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक पं0 2(31)चिस्वा/2/2016

जयपुर, दिनांक 10.6.2019

:-आदेश:-

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 30.4.2019 को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर निम्न वरिष्ठ विशेषज्ञ को प्रमुख विशेषज्ञ के पद पर डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत निम्नानुसार पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)

क. स.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्मतिथि	आर.पी.एस.सी. चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत वरिष्ठ विशेषज्ञ तिथि	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
1	डॉ. प्रीती श्रीवास्वत	सामान्य	09.09.61	1992	11.07.11	01.04.16

वरिष्ठ विशेषज्ञ (फोरेन्सिक मेडीसन)

क. स.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्मतिथि	आर.पी.एस.सी. चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत वरिष्ठ विशेषज्ञ तिथि	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
1	डॉ. अशोक कुमार माथुर	सामान्य	29.07.58	1992	11.07.11	01.04.16

वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)

क. सं.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्मतिथि	आर.पी.एस.सी. चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत वरिष्ठ विशेषज्ञ तिथि	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
1	डॉ0 प्रकाश चन्द तँवर	सामान्य	26.05.60	1992	11.07.11	01.04.16

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अधिकारी यथास्थान पदस्थापित रहेगे।

राज्यपाल की आज्ञा से



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री, राज, सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।



(ओ. पी. वर्मा)

सहायक शासन सचिव